आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Tourism Department

Meghalaya Tourism Development & Investment Promotion Scheme 2012.

मेघालय पर्यटन विभाग की 2012 की योजना पर्यटकों के लिए होमस्टे और रिसॉर्ट बनाने वाले उद्यमियों को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत प्रोत्साहन देती है।

क्या मिल सकता है

नए या बढ़ाए गए होमस्टे (परियोजना लागत 16 लाख रुपये तक, अधिकतम 4 कमरे) और रिसॉर्ट (परियोजना लागत 1 करोड़ रुपये तक, कम से कम 10 कमरे) के लिए परियोजना लागत का 30 प्रतिशत सहायता। राज्य यह प्रोत्साहन ऋण देने वाले बैंक या संस्था को देता है।

किसके लिए है

मेघालय के वे उद्यमी जिनकी ज़मीन पर पर्यटकों के लिए होमस्टे या रिसॉर्ट परियोजना है और जो उसे बैंक ऋण से बना रहे हैं।

मुख्य शर्तें

- होमस्टे के लिए आवेदक के पास बना हुआ घर और संपत्ति का मालिकाना हो, रिसॉर्ट के लिए ज़मीन का मालिकाना हो।
- परियोजना लागत होमस्टे के लिए 16 लाख रुपये और रिसॉर्ट के लिए 100 लाख रुपये के भीतर रहे; इससे ऊपर की लागत पर सहायता इन्हीं रकमों के 30 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।
- प्रोत्साहन मिलने के बाद होमस्टे 12 महीने में और रिसॉर्ट 18 महीने में पूरा होना चाहिए।
- अधिसूचना की तारीख या उसके बाद शुरू हुई इकाइयाँ ही पात्र हैं, और उद्यमी को सरकार की न्यूनतम मज़दूरी नीति माननी होगी।
- एक ही काम के लिए दो या अधिक योजनाओं से सहायता नहीं ली जा सकती।

दस्तावेज़

- आवेदक की पहचान और अस्तित्व का प्रमाण
- परियोजना की ज़मीन के अधिकार अभिलेख की प्रति
- तय प्रारूप में शपथपत्र
- पिछले आयकर रिटर्न की प्रति, यदि हो
- बैंक को दी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और बैंक का पत्र कि ऋण पर विचार चल रहा है
- परियोजना की ज़मीन का हाथ से बना मुख्य नक्शा
- उस क्षेत्र में सुविधा बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन फ़ॉर्म और योजना पुस्तिका के लिए 5000 रुपये (वापस नहीं होंगे) निदेशक पर्यटन, मेघालय, शिलांग के नाम डिमांड ड्राफ्ट से जमा करें।
2. भरा हुआ आवेदन फ़ॉर्म सूचीबद्ध दस्तावेज़ों के साथ भेजें।
3. पर्यटन निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति के फ़ैसले से पहले पर्यटन विभाग और बैंक के अधिकारी परियोजना स्थल का निरीक्षण करते हैं।
4. बैंक को प्रोत्साहन राशि जाने से पहले पर्यटन विभाग के साथ औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.meghalaya.gov.in/schemes/content/37396
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/meghalaya/ml-tourism-development-investment-promotion-2012/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।